

05/10/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरीकार सरकार का जवाब अप्राप्त। पैरीकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पैरीकार सरकार दिनांक 18/10/2023 को पेश है।

S.D.O.

18/10/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरीकार सरकार का जवाब अप्राप्त। पैरीकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पैरीकार सरकार दिनांक 01/11/2023 को पेश है।

S.D.O.

01/11/2023

पत्रावली पेश हुई P.O साहब राज काम में प्रस्तुत होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/11/2023 को पेश की जावे।

S.D.O.

09/11/2023

पत्रावली पेश हुई डी.डी. साहब द्वारा तहसीलदार का काम संचालित करने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/12/2023 को पेश की जावे।

S.D.O.

12/12/2023

पत्रावली पेश हुई उभय पक्षकार उपस्थित। पैरीकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा के पत्र हमाउं/वीए/सफाई/11415 दिनांक 12/10/2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रार्थी वकील प्रार्थी को दिवार गरी 04/12/2023 को कर है। वकील प्रार्थी के आज ही वसुधकर



Form No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

चीसालाल धाक  
प्रा. ५४

बनाम

श्रीमधारी लक्ष्मीनगर सा. ०

नं०

७५

सन् २०२३

किस्म मुकदमा

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इसमें  
जारी हुए

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

का निवेदन किया। उभय पक्ष को सुना गया। क्लीक  
जार्जी ने शपथ में वकील आराजीयात में जार्जी के  
पक्ष का नाम मीश कर्फे कनेर किए जाने का निवेदन  
किया। उभय पक्ष को बहस पर मगन किया। शपथ  
में डालित लामों व दस्तावेजों का अवलोकन कर  
गहनता से मगन किया। क्लीक जार्जी द्वारा बहस  
के दौरान दी गई प्रतियों से एक संतुष्ट है। जार्जी  
का शपथ धारा अनुसूचित - 36 का रबीकार भीषण  
पार जाने से रबीकार किया जाता है। शपथ  
का निर्विम धुपक के लिए का जालर कुले न्यायालय  
की अजलात में सुनाया गया। पत्रावली फंसल  
शुमार होकर नम्बर के कम की जालर शामिल  
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)